



15

समा. न्यायालय श्रीमान ~~श्री~~ राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

वि. प्र. क्र. विविध-2743/2018/जबलपुर/भूर

आवेदक : शैब उवेश खान उम्र 35 वर्ष,
पिता स्व. शैब रसूल निवासी गाड़ाघाट
तहसील पाटन जिला जबलपुर

(चौकीदार कारक फिल)
क. क. र. स.
28-4-18

विस्तृत

- अनावेदकगण :
1. रहीसा बेगम उम्र 56 वर्ष, पत्नी स्व. शैबरसूल निवासी पुराना बस स्टैण्ड कैमास हिरिया मोहल्ला हिरिया जिला हिन्दौरिया म.प्र.
 2. रजीन बी पति शैब रसूल उम्र 49 साल,
 3. शैब मकसूद पिता शैब रसूल उम्र 21 वर्ष,
क्र. 2 एवं 3 निवासी गाड़ाघाट, तहसील पाटन जिला जबलपुर म.प्र.

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 32 म.प्र. भूर राजस्व संहिता सहपत्ति धारा

15। व्यवहार प्रक्रिया संहिता खारिजी आदेश दिनांक 28.3.2018

निरस्त करके मूल नम्बरपर प्रतिस्थापित किये जाने बावद



आवेदक माननीय न्यायालय से निम्नवत निवेदन करता है :-

1. यह कि, अपीलार्थी ने अपील क्रमांक आर - 878- 1/2016-2017 प्रस्तुत किया था। जो प्रारम्भिक सुनवाई हेतु लंबित थी।
2. यह कि प्रकरण उपरोक्त अपीलार्थी अधिवक्ता की डायरी में दिनांक 27.4.2018 को रिकॉर्ड हो गया है। अपीलार्थी अधिवक्ता जब दिनांक 27.4.2018 को न्यायालय उपस्थित हुए तो संबंधित बाबू द्वारा बताया गया कि प्रकरण उपरोक्त दिनांक 28.3.2018 को अदम पैरवी में

Handwritten mark

22/1/19

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक M. 2743-118 जिला जवसपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
<p><u>29/1/19</u></p>	<p>सावक अर्धो को-थोरोस अरमल मि. 34/ रेडको सावक अर्धो व को-थोरोस आदेश 119/</p> <p><i>[Signature]</i> सदस्य</p>	<p><i>[Signature]</i> 29-1-19 Note: 26.</p>
<p><u>5/2/19</u></p>	<p>सावक अर्धो के तर्क पर विचार- मि. 34/ अर्धो 50 50 878 -1/17 के आदेश दिनांक 28/3/18 के पुनः नया परिष्कार जाने के आदेश दिनांक 1/2/19 पर रेडको पुनः इस आधार पर समाप्त किया जा रहा है</p> <p><i>[Signature]</i> सदस्य</p>	